

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-49 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-:

01. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सरोजा देवी पत्नी शिव बहादुर नि० घारी घाट थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-341/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अमर सिंह निषाद पुत्र बहादुर निषाद नि० जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-341/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मीना देवी पत्नी विष्णु सोनकर नि० भरहु भट्टा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-287/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामबलि पुत्र झगरू नि० कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-296/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. महकू पुत्र भग्गल नि० छाछपारा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-211/20, 02. काने पुत्र भग्गल नि० छाछपारा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-212/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01.राजेन्द्र पुत्र हरि नि० राधे पुरवा गिर्द थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-600/20, 02. देवीदीन पुत्र स्व० संते नि० राधे पुरवा गिर्द थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-601/20, 03. राधेश्याम पुत्र राजाराम नि० जोकाई थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-604/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम केवल उर्फ पप्पू पुत्र राजमन नि० सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-294/20, 02. स्वामीनाथ पुत्र बांके नि० दलपतपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-295/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने मारपीट करने के वांछित अभियुक्त शिवगोपाल सिंह पुत्र स्व० देवशरण सिंह नि० कडरू दिकौली थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-169/20, धारा 323.324.325.452.504.342 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने जमीनी विवाद के चलते अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी राहुल सिंह पुत्र सीतला प्रसाद सिंह नि० दिकौली मौजा कडरू थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गाली-गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारा-पीटा था तथा वादी के चाचा मिथुन सिंह को एक कमरे में बन्द कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने उक्त वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को० नगर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी अभियुक्त जमील पुत्र गुलाम नि० मोहल्ला पटेल नगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा को थाना को० नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०-306/20, धारा 323.354.376.511 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना को० नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। जिसके सम्बन्ध में वादी के पिता द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० नगर पुलिस ने उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना तरबगंज ने अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. छोटे लाल उर्फ लाला पुत्र तुलसीराम नि० डिडिसिया कला थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-248/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 24.08.2020 को थाना तरबगंज के उ०नि० अभिषेक वर्मा मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि चांदपुर पुलिया के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अभिषेक वर्मा।

02. का० वेद प्रकाश।

थाना को० नगर ने अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजू पुत्र निबरू नि० पटेल नगर घोसियाना थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-605/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 24.08.2020 को थाना को0 नगर के उ0नि0 गोपाल सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 गोपाल सिंह।
02. का0 ललित कुमार।

अवैध मादक पदार्थ व नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. कबीर अली पुत्र अहमद अली नि0 मोहल्ला नईबाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. सलमान पुत्र फकरुद्दीन नि0 मोहल्ला नईबाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-320/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-321/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 547 टेबलेट अल्प्राजोलम
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध नशीले पदार्थों के बिक्री, भण्डारण व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज के उ0नि0 रणजीत यादव मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ व नाजायज चाकू के साथ कटराबाजार रोड से करनैलगंज की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों की जामातालाशी ली गयी तो अभियुक्त कबीर के कब्जे से 547 टेबलेट अल्प्राजोलम व अभियुक्त सलमान के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्तगणों को थाना करनैलगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रणजीत यादव।
02. का0 मिथिलेश।
03. का0 अबरार खॉं।
04. का0 शेख असफाक।